

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प.1(प्रति.2)/प्र.नि.का.व्य./3/2009-10/

दिनांक:

Received Today
24/1/2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर राज. में विचाराधीन एस.बी.सि.रि.पिटिशन संख्या 3724/2019 बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को एवं स्थगन पिटिशन को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.2020 से खारिज कर दिये जाने के कारण आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक प.11(46)आयु/2010 दिनांक 22.01.2019 के अतिक्रमण में राज्य सरकार के समसख्यंक आदेश क्रमांक 16.09.2019 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आयुर्वेद विभाग के निम्नलिखित नर्स/कम्पा. की होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर निदेशालय आयुर्वेद विभाग के अधीन निम्नलिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित करने की प्रदान स्वीकृति एवं उक्त क्रम में इस विभाग के पूर्व पत्रांक प.1(प्रति.2)/प्र.नि.का.व्य./3/2009-10/4659-70 दिनांक 18.09.2019 के क्रम में संबधित निम्न कार्मिक को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

| क.स. | नाम कार्मिक | वर्तमान पदस्थापन | नवीन पदस्थापन स्थान |
|------|----------------|---|----------------------------------|
| 1 | कुसुमलता माथुर | राज.होम्यो.चिकि. हाथी राम का ओडा, जोधपुर राज. | राज.आयु. औष. औसियां, जोधपुर राज. |

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

क्रमांक:-प.1(प्रति.2)/प्र.नि.का.व्य./3/2009-10/256

दिनांक: 16/1/2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपशासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक प.11(46)आयु /2010 दिनांक 16.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ ।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राज. अजमेर ।
3. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय होम्यो.चिकि. विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
4. संबधित प्रभारी चिकित्साधिकारी, राज.होम्यो.चिकि. हाथी राम का ओडा, जोधपुर राज.को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना में संबधित नर्स/कम्पा. को तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से इस विभाग को अवगत करावें । पचायती राज चुनाव के मध्यनजर यदि आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।
5. चिकित्साधिकारी प्रभारी, राज.आयु. औष. औसियां, जोधपुर राज. ।
6. संबधित नर्स/कम्पा.को दी जाकर लेख है कि आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें ।
7. लेखा शाखा/बिल शाखा/न्याय शाखा/स्टोर शाखा निदेशालय होम्यो.चिकि. विभाग राज. जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।



निदेशक